



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र.प्र० ३५३/वित्त एवं लेखा/एनआर-४/NREGS-M.P./2010

भोपाल, दिनांक १६/७/१०

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक
 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
 समस्त जिला

विषय:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. अंतर्गत वित्त वर्ष 2009-10 से
 संबंधित सी.ए. आडिट कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

—०—

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के सी.ए. आडिट कराने के संबंध में
 समय-सीमा निर्धारित की गई है। इससे आप भलीभांति अवगत हैं। आडिट रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा
 में यदि भारत सरकार को नहीं पहुँच पायेगी तो केन्द्रांश की राशि राज्य को प्राप्त नहीं हो सकेंगी।

अतः पूर्व में भी इस कार्य के संपादन हेतु 15/07/2010 समय सीमा निर्धारित की गई थी।
 इस संबंध में कार्य पूर्णतः की जानकारी किसी भी जिले से प्राप्त नहीं हुई है। कृपया आपके जिले की
 प्रगति निम्न प्रपत्रानुसार दिनांक 21.07.2010 तक अवगत करायें। तथा अनिवार्य रूप से 30/07/2010
 तक कार्य पूर्ण करायें।

आडिट न हो पाने के कारण यदि केन्द्रांश की राशि न मिल पाई तो अत्यंत विसंगति पूर्ण
 निर्मित होंगी अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कराने का अनुरोध है।

(डॉ. राजीव सक्सेना)

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,

मुख्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक १६/७/१०

पृ.क्र.प्र० ३५४ / वित्त एवं लेखा/एनआर-४/NREGS-M.P./2010

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विन्ध्याचल भवन भोपाल।

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,

मुख्यालय, भोपाल

जिले का नाम :

1. कार्यकर करे चाटेड एकाउन्टेंट का नाम एवं दूरभाष
2. चाटेड एकाउन्टेंट से अनुबंध की तिथि
3. आडिट की प्रगति की तालिका

जनपद का नाम	जनपद के अधीन ग्राम पंचायतों की संख्या	कितनी ग्राम पंचायतों में आडिट हुआ उनकी संख्या	आडिट का प्रतिशत

4. समय सीमा में आडिट कराये जाने हेतु जिले के प्रयास एवं रणनीति